न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

प्रार्थना पत्र संख्याः 01/2017 डी.पी.एक्ट पिटीशन/विविध

GCMS No. 2017/00127

1. शंकरलाल पुत्र बुल्लन जाति माली साकिन साहजी का बास, अलवर। (मृत्तक)

1/1. शशि कुमार पुत्र शंकरलाल

1/2. मनोज पुत्र शंकरलाल

1/3. रामपति पत्नि शंकरलाल

2. तारा पुत्र बुल्लन जाति माली निवासी साहजी का बास, अलवर। (मृत्तक)

2/1. कपिल पुत्र तारा
2/2. गुलाबो देवी पुत्री तारा
2/3. सोनू पुत्री तारा
2/4. कोमल पुत्री तारा
} साहजी का बास, अलवर।

3. रामकिसन पुत्र श्री मोतीलाल जाति माली निवासी साहजीका बास, अलवर।

4. पूरण पुत्र श्री मोतीलाल जाति माली निवासी साहजी का बास, अलवर।

5. अंगूरी देवी बेवाह देवी सहाय जाति माली निवासी साहजी का बास, अलवर।

6. योगेश पुत्र देवी सहाय जाति माली निवासी साहजी का बास, अलवर।

7. मोन पुत्र देवी सहाय जाति माली जरिये संरक्षक माता अंगूरी देवी निवासी साहजी का बास, अलवर।

8. सोहनलाल पुत्र श्री मोतीलाल जाति माली निवासी साहजी का बास, अलवर।

9. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री मोतीलाल जाति माली निवासी साहजी का बास, अलवर।

10. तुलसीराम पुत्र मोतीलाल जाति माली निवासी साहजी का बास, अलवर।

11. मंगाली पुत्री मोतीलाल जाति माली निवासी साहजी का बास, अलवर।

12. बुन्दो पुत्री मोतीलाल जाति माली निंवासी साहजी का बास, अलवर।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. किशोरीलाल पुत्र हरदेवा जाति माली निवासी प्लाट नंबर ए 52–ए विवेकानंद कॉलोनी, नया खेड़ा, अम्बाबाड़ी जयपुर।

2. हीरालाल पुत्र श्री हरदेवा जाति माली निवासी प्लाट नंबर ए–52 विवेकानंद कॉलोनी, नया खेड़ा, अम्बाबाड़ी जयपुर। (मृत्तक)

2/1. पवन कुमार पुत्र हीरालाल
2/2. निरंजन पुत्र हीरालाल
2/3. हरली पत्नी हीरालाल (फौत)
} निवासी प्लाट नंबर ए–52 विवेकानंद कॉलोनी, नया खेड़ा, अम्बाबाड़ी जयपुर।

3. मनोहरलाल पुत्र हरदेवा जाति माली निवासी प्लाट नंबर ए–52 विवेकानंद कॉलोनी, नया खेड़ा, अम्बाबाड़ी जयपुर।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4. लक्ष्मीनारायण पुत्र हरदेवा जाति माली निवासी प्लाट नंबर ए–52 विवेकानंद कॉलोनी, नया खेड़ा, अम्बाबाड़ी जयपुर।
5. धर्मेन्द्र पुत्र श्री सुन्दरलाल जाति माली निवासी प्लाट नंबर ए–52 विवेकानंद कॉलोनी, नया खेड़ा, अम्बाबाड़ी जयपुर।
6. जीत पुत्र श्री सुन्दरलाल जाति माली निवासी प्लाट नंबर ए–52 विवेकानंद कॉलोनी, नया खेड़ा, अम्बाबाड़ी जयपुर।
7. सुश्री सुनीता पुत्री श्री सुन्दरलाल जाति माली निवासी प्लाट नंबर ए–52 विवेकानंद कॉलोनी, नया खेड़ा, अम्बाबाड़ी जयपुर।
8. श्रीमति गौरी देवी बेवा सुन्दरलाल जाति माली निवासी प्लाट नंबर ए–52 विवेकानंद कॉलोनी, नया खेड़ा, अम्बाबाड़ी जयपुर।
9. श्रीमति माया देवी पत्नि श्री रूपकिशोर जाति माली निवासी प्लाट नंबर ए–52 विवेकानंद कॉलोनी, नया खेड़ा, अम्बाबाड़ी जयपुर।
10. श्रीमति शीला पुत्री श्री सुन्दरलाल जाति माली निवासी प्लाट नंबर ए–52 विवेकानंद कॉलोनी, नया खेड़ा, अम्बाबाड़ी जयपुर।
11. राजस्थान सरकार।

—— अप्रार्थीगण

उपस्थितः श्री उमेश ऋषि – अभिभाषक प्रार्थीगण
श्री राजेश बैद – अभिभाषक अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 08.09.2025

यह पत्रावली डी.पी.एक्ट की धारा 33 के अन्तर्गत न्यायालय चीफ सेटलमेंट कमिश्नर (रिहेबिलिटेशन)एवं राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के निर्णय दिनांक 20.12.2002 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई, जिसे इस न्यायालय के आदेश दिनांक 18.09.2006 द्वारा समाप्त कर दिया गया। उक्त आदेश दिनांक 18.09.2006 के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर बैंच में सिविल रिट पिटीशन पेश करने पर उच्च न्यायालय ने प्रकरण इस न्यायालय को मैरिट पर निर्णय करने का निर्देश दिया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.12.2016 की पालना में बहस उभय पक्ष सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस समाहत अदालत की गई। अभिभाषक प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादगत भूमि खसरा नंबर 2017/2/1 का 13 बिस्वा व खसरा नंबर 2018/1 का 13 बिस्वा भूमि का आवंटन मोती पुत्र भीमा को हुआ। उक्त आवंटन की कलक्टर कम सेटलमेन्ट कमिश्नर पुर्नवास, अलवर ने दिनांक 03.07.1972 को मूल आवंटी के नाम पट्टा सनद जारी कर दी, जिसके विरूद्ध अप्रार्थीगण ने न्यायालय चीफ सेटलमेन्ट कमिश्नर (रिहेबिलिटेशन) एवं राजस्व

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

28.2.17

अपील अधिकारी, जयपुर के समक्ष एक निगरानी पेश की। अप्रार्थीगण की उक्त निगरानी को न्यायालय चीफ सेटलमेन्ट कमिश्नर (रिहेबिलिटेशन) एवं राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर ने आदेश दिनांक 20.12.2002 पारित करते हुए स्वीकार कर लिया। उक्त आदेश दिनांक 20.12.2002 से व्यथित होकर प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में याचिका दायर की।

2— विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण को बिना सुने इकतरफा तौर पर आदेश जैर याचिका पारित कर दिया। कलक्टर कम सेटलमेंट कमिश्नर अलवर द्वारा रिकार्ड की पूर्ण जांच करने के उपरांत दिनांक 03.07.1972 को आदेश पारित किया गया था। मूल आवंटी मोती पुत्र भीमा स्थानीय काश्तकार और वहीं का मूल निवासी था। कलक्टर कम सेटलमेंट कमिश्नर अलवर को दिनांक 03.07.1972 का आदेश पारित करने का अधिकार कैसे नहीं है, इस बाबत आदेश जैर याचिका दिनांक 20.12.2002 में कंही भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। दिनांक 18.11.1968 उपखण्ड अधिकारी का कोई वैध निर्णय नहीं हैं और यदि है भी तो वह प्रार्थीगण की वादगत भूमि से संबंधित नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय बैंच जयपुर ने अपने आदेश दिनांक 16.12.2016 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय चीफ सेटलमेन्ट कमिश्नर (रिहेबिलिटेशन) एवं राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर के आदेश दिनांक 20.12.2002 को अपास्त कर दिया। कस्टोडियन भूमि, जो भारत सरकार के अधीन थी, की खातेदारी राज्य सरकार द्वारा अप्रार्थीगण को नहीं दी जा सकती। वादगत भूमि पर वर्षों से कब्जा प्रार्थीगण का ही है। कलक्टर कम सेटलमेंट कमिश्नर अलवर द्वारा पट्टा सनद नियमानुसार जारी की गई है। अतः प्रार्थीगण की याचिका स्वीकार की जाकर आदेश निगरानी अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 20.12.2002 निरस्त किया जावे।

3— विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया है कि कलक्टर कम सेटलमेंट कमिश्नर द्वारा पट्टे की सनद क्षेत्राधिकार के बाहर जारी की गई सनद है क्योंकि सनद जारी करने के लिए तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर अधिकृत है न कि कलक्टर कम सेटलमेन्ट कमिश्नर पुर्नवास। जिस व्यक्ति मोतीलाल को पट्टा जारी किया गया है, वो लोकल टेनेन्ट नहीं है। प्रार्थीगण की समस्त भूमि कस्टोडियन नहीं थी, उसमें से कुछ भूमि अप्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि है। पट्टा सनद जारी करने से पूर्व इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि तहसीलदार द्वारा राजस्व अभिलेख के आधार पर रिपोर्ट नहीं बनायी गई है क्योंकि दिनांक 18.11.1968 के उपखण्ड अधिकारी के आदेश अनुसार स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण ही विवादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार हैं।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अप्रार्थीगण काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के पूर्व से ही वादगत भूमि पर काबिज काश्त है। संवत् 2019–28 की खसरा गिरदावरी के इन्द्राज से भी यह बात स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण ही वादगत भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा स्थानीय टेनेन्ट है। अतः प्रार्थीगण की याचिका खारिज फरमायी जावे।

4– हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तोवजों एवं अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय चीफ सेटलमेन्ट कमिश्नर (रिहेबिलिटेशन) एवं राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर ने आदेश दिनांक 20.12.2002 पारित करते हुए कलक्टर कम सेटलमेंट कमिश्नर अलवर के आदेश दिनांक 03.07.1972 द्वारा जारी पट्टा सनद के आदेश को खारिज कर दिया। प्रकरण की अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थीगण को कलक्टर कम सेटलमेंट कमिश्नर पुर्नवास अलवर द्वारा अपने आदेश दिनांक 03.07.1972 द्वारा पट्टा सनद जारी की गई है। कलक्टर कम सेटलमेंट कमिश्नर पुर्नवास अलवर द्वारा पट्टा सनद नियमानुसार जारी की गई है। कलक्टर कम सेटलमेंट कमिश्नर पुर्नवास द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उक्त आदेश दिनांक 03.07.1972 पारित नहीं किया गया है। हस्तगत प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। चूंकि हस्तगत प्रकरण डीपी एक्ट से संबंधित है, जिसमें भूमि के संबंध में अधिकार विस्थापितों को पूर्व में अवाप्त भूमि के बदले में प्रदान किये जाते है। इसप्रकार आदेश दिनांक 03.07.1972 में हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उक्त परिपेक्ष्य में कलक्टर कम सेटलमेंट कमिश्नर पुर्नवास अलवर द्वारा जारी पट्टा सनद आदेश दिनांक 03.07.1972 न्यायोचित होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय चीफ सेटलमेन्ट कमिश्नर (रिहेबिलिटेशन) एवं राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर के आदेश दिनांक 20.12.2002 को निरस्त किया जाता है।

5– तदनुसार प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति प्रार्थना पत्र पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 08.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर